

12/3/19

हस्ताक्षर अभिलेख एवं नोटिफिकेशन
वकील... 324... पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को... युगावकाश
व्यस्त है अतः पत्रावली पत्र आदेशानुसार
दिनांक... 13/3/19... को पेश हो

13/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपपक्ष
वकील अपीलान्त वहल को समझ-चाहते हैं।
वहल वहल पत्रावली दिनांक 18/3/19 को पेश हो।

18/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपपक्ष वकील
अपीलान्त वहल को समझ-चाहते हैं। वहल हेतु
अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक
25/3/19 को पेश हो।

25/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त एवं पेंरीकार राजत
उपपक्ष वहल उभय पक्ष सुनी गयी। दोनों वहल
पेंरीकार राजत द्वारा रुथन किफा की तहलीलडा कौली
की गिमत सं. 2764/11 निर्णय दिनांक 25/2/11 की अपील
पूर्व में अपीलान्त द्वारा न्यायालय में पेश की जा चुकी
है जो वह न्यायालय में आर. सं. 150/19 पर दर्ज नसिस्ट
की जाकर 15/4/15 को रवातन की जा चुकी है। अतः अपीलान्त
की ओर प्रस्तुत अपील रिक्र्यूडिक्टेड से होने के कारण रवातन
सिधे जाने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से पेंरीकार राजत
का कथान दायित उगीत होता है अतः अपीलान्त की ओर
से प्रस्तुत अपील रिक्र्यूडिक्टेड की श्रेणी में होने के कारण
रवातन की गयी है। पत्रावली फौजिल सुमार होकर न्याया
से कम हो एवं बाद तकमील दारिफत अफिलेख की जावे।
आपका दुनाची गयी।

रजिस्टर्ड

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय मय पत्रावली संख्या... 2764/11
दिनांक... 25/3/19
को भेजा।
दिनांक... 25/3/19

